अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 466(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं0 **का**० आ0 2370 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019" द्वारा "चलता-फिरता मेडिकल चेरिटेबल डिस्पेंसरी और चिकित्सक सहायता परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 19 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं० **का**० आ० 1394(अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019'' द्वारा चलाई जा रही "चलता-फिरता मेडिकल चेरिटेबल डिस्पेंसरी और चिकित्सक सहायता परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को 2.95 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 96/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)